भारत सरकार
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या - 1205
उत्तर देने की तारीख : 11.02.2025

उत्तर-पूर्व के विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को समग्र सहायता

1205. श्री कामाख्या प्रसाद तासा :

क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार देश में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को समग्र सहायता प्रदान कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) सरकार द्वारा इस संबंध में पिछले दो वर्षों के दौरान शुरू की गई योजनाओं और पहलों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) विशेष रूप से उत्तर-पूर्व में ऐसी परियोजनाओं और प्रायोजनों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री
(श्री बी.एल. वर्मा)

(क) से (ग) : आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम 2016 की धारा 40 स्कूलों/पार्कों आदि सहित सार्वजनिक स्थानों को सुगम्य बनाने; सुगम्य शिक्षण सामग्री, रैंप आदि के माध्यम से समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देने पर केंद्रित है । राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 दिव्यांग बच्चों के लिए समावेशी शिक्षा का समर्थन करती है। विशेष आवश्कताओं वाले बच्चों को मुख्यधारा के स्कूलों में एकीकृत करने के लिए समग्र शिक्षा, पीएम श्री और पीएम पोषण के तहत कार्यक्रम डिज़ाइन किए गए हैं।

सरकार कानूनी और वित्तीय सहायता के माध्यम से ऑटिज्म, प्रमस्तिष्क घात, बौद्धिक दिव्यांगता और बहु दिव्यांगता वाले बच्चों की सहायता करती है।

केंद्र सरकार ने 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के दिव्यांगजनों के कौशल को बढ़ाने के उद्देश्य से दिव्यांगजनों के कौशल विकास के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना (एनएपी-एसडीपी) का शुभारंभ किया है।

एडिप योजना के तहत, सरकार विशेष आवश्कताओं वाले बच्चों सहित दिव्यांगजनों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। पिछले दो वर्षों (वित्त वर्ष 2022-23 और वित्त वर्ष 2023-24) में, पूर्वोत्तर क्षेत्र में विशेष

आवश्कताओं वाले 11,480 बच्चे एडिप-एसएसए (एडिप-समग्र शिक्षा अभियान) पहल से लाभान्वित हुए हैं।

दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग ने 0-6 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए अपने विभिन्न राष्ट्रीय संस्थानों (एनआई) और समेकित क्षेत्रीय केंद्रों (सीआरसी) में सिंगल विंडो, क्रॉस डिसेबिलिटी अर्ली इंटरवेंशन सेंटर (सीडीईआईसी) शुरू किए हैं। इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम (आरबीएसके) 10-19 वर्ष के आयु वर्ग के किशोरों के लिए एक स्वास्थ्य कार्यक्रम है ।

*****